जहांगीराबाद थाने में अधिवक्ता की पिटाई

विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, रास्ते जाम

थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अधिवक्ता राकेश रावल के साथ मारपीट के आरोप को लेकर वकीलों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। पुलिस ने बुधवार को अधिवक्ता राकेश रावल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं, मंगलवार रात करीब 50 वकीलों ने जहांगीराबाद थाने पहुंचकर रात तीन बजे तक प्रदर्शन किया।

बुधवार को अधिवक्ताओं ने कोर्ट चौराहा भी बंद कर दिया और सड़क पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। मामले में जोन-1 के पुलिस उपायुक्त ने थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार, आरक्षक यश लखेरा और आरक्षक रामस्वरूप को निलंबित कर दिया है। तीनों को निलंबन अवधि में रिजर्व सेंटर से संबद्ध किया गया है। मामले की प्राथमिक जांच सात दिन में पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जहांगीराबाद थाने की जिम्मेदारी निरीक्षक हरि किशन लोहिया को दी गई है।

आरक्षक ने शिकायत में बताया घटनाक्रम

आरक्षक हरि ओम वर्मा की शिकायत के अनुसार, 22 सितंबर की शाम करीब आठ बजे उनकी ड्यूटी खटलापुरा विसर्जन घाट पर गणेश विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए पीएचक्यू गेट नंबर-1 के पास लगी थी। इसी दौरान लाल रंग की कार से एक व्यक्ति खटलापुरा रोड की ओर जाने लगा। रोकने पर उसने कार बीच सड़क पर खड़ी कर यातायात बाधित किया। शिकायत के अनुसार, समझाने पर व्यक्ति ने पुलिस विभाग को गालियां दीं और अपना नाम राकेश रावल बताते हुए खुद को भोपाल न्यायालय का अधिवक्ता बताया। इसके बाद झगड़ा और मारपीट करने तथा जान से खत्म करने की धमकी देने का आरोप है।

अधिवक्ता ने लगाया मारपीट का आरोप

वहीं, अधिवक्ता राकेश रावल का कहना है कि मंगलवार शाम करीब आठ बजे खटलापुरा मंदिर की ओर से आते समय पुलिसकर्मियों ने उनका वाहन रोक लिया और थाने चलने को कहा। वाहन में पेट्रोल नहीं होने की बात कहने पर पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज की और विरोध करने पर उन्हें कीचड़ में पटककर डंडों से पीटा। रावल के अनुसार, कंट्रोल रूम तिराहे पर रास्ता बंद होने के कारण उन्हें रोका गया था। उन्होंने बैरागढ़ जाने का वैकल्पिक रास्ता पूछा, जिस पर पुलिसकर्मियों से बहस हो गई।

वकीलों ने जारी किया चोट का वीडियो

प्रदर्शनकारी वकीलों ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें राकेश रावल के पैरों पर चोट के निशान और कपड़ों पर कीचड़ दिखाई दे रहा है। वकीलों का कहना है कि मारपीट के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए।

5-डे बैंकिंग की मांग को लेकर बैंककर्मियों का धरना, 28 से राष्ट्रव्यापी हड़ताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर बुधवार को एमपी नगर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में पंजाब नेशनल बैंक के समीप बैंक अधिकारी-कर्मचारी संगठनों ने धरना-प्रदर्शन किया।

बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शामिल होकर 5-डे बैंकिंग लागू करने सहित लंबित मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने का नेतृत्व यूएफबीयू संयोजक संजीव कुमार मिश्रा, एआईबीओसी मध्यप्रदेश अध्यक्ष सुबीन सिन्हा, सचिव दिनेश झा तथा एसबीआईओए भोपाल सर्कल अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 5-डे बैंकिंग कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन, स्वास्थ्य और बेहतर कार्यसंस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के बावजूद कार्य का दबाव बढ़ रहा है। संगठनों ने बताया कि 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। मांगों का समाधान नहीं होने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया गया है।

भगवान वामन के प्राकट्य दिवस पर दी शुभकामनाएं

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान श्रीविष्णु के पांचवें अवतार भगवान वामन के प्राकट्य दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भक्ति, धर्म और दानशीलता के स्वरूप भगवान वामन की कृपा से सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और यश की वृद्धि हो।

महिला आयोग की संयुक्त बेंच में 38 प्रकरणों पर सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच ने बुधवार को महिलाओं से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई की। बेंच के समक्ष कुल 38 प्रकरणों में आवेदक और अनावेदक उपस्थित हुए। इनमें महिला प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, घरेलू अत्याचार, बलात्कार, यौन शोषण, हिंसा, हत्या और विभागीय विवाद सहित अन्य मामले शामिल थे। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव और सदस्य साधना स्थापक ने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान महिला प्रताड़ना के 10, दहेज प्रताड़ना के पांच, घरेलू अत्याचार के पांच और बलात्कार के तीन प्रकरण सामने आए। इसके अलावा मारपीट, विभागीय प्रकरण, पारिवारिक विवाद, हत्या, यौन शोषण, हिंसा और अन्य श्रेणी से संबंधित एक-एक प्रकरण की भी सुनवाई हुई। आयोग ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। संयुक्त बेंच के समक्ष कार्यस्थल प्रताड़ना से जुड़ा एक मामला भी आया। इसमें एक स्टाफ नर्स ने अस्पताल की प्रभारी मेट्रन और वार्ड इंचार्ज पर लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना और निजी जीवन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए। नर्स ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

दहेज प्रताड़ना के एक अन्य प्रकरण में महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना तथा स्त्रीधन और आभूषण अपने पास रखने के आरोप लगाए।

मंज़र भोपाली की साहित्यिक सेवाओं के 50 वर्ष, सम्मान समारोह 27 को

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अंतरराष्ट्रीय कवि मंज़र भोपाली की साहित्यिक सेवाओं के 50 वर्ष पूरे होने पर भोपाल की सामाजिक संस्था 'हम एक हैं' द्वारा 'मोहब्बतों के 50 साल' शीर्षक से सम्मान समारोह और अखिल भारतीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

'हम एक हैं' संस्था आयोजित करेगी अखिल भारतीय मुशायरा और कवि सम्मेलन

कार्यक्रम 27 सितंबर 2026 को होटल आरके रिजेंसी, लालघाटी, बैरागढ़ रोड पर दोपहर 3 बजे होगा। संस्था द्वारा इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवाब रजा करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय सिंह राहुल भैया और विधायक आरिफ मसूद विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथियों में जमील अजमल सिद्दीकी, विधायक आतिफ अकील और मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेणु बारासी सोतिया शामिल होंगी। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में डॉ. नवाज देवबंदी, जफर सहबाई, साजिद रिजवी, जौहर कानपुरी, इकबाल अशहर, डॉ. सुनील पंवार, महशर आफरीदी, डॉ. तारिक कमर, डॉ. अंजुम बाराबंकवी, शबीना आदीब और हिमांशी बाबरा रचनाएं प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. महताब आलम करेंगे।

उपलब्धियों से परिपूर्ण प्रमुख विद्युत समंक का विमोचन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारियों और नवीनतम आंकड़ों से परिपूर्ण प्रमुख विद्युत समंक 2026 का विमोचन किया। यह विमोचन ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर वर्चुअली शामिल हुए।

बारह पृष्ठों की इस पुस्तिका का प्रकाशन एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के स्टेट प्लानिंग सेल द्वारा किया गया है। इसमें विद्युत उत्पादन, उपलब्धता, ट्रांसमिशन और वितरण क्षेत्र के नवीनतम आंकड़ों को शामिल किया गया है। पुस्तिका में वर्ष 2025-26 में विद्युत क्षेत्र में अर्जित प्रमुख उपलब्धियों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह, सचिव ऊर्जा एवं एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले, ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल आलोक कुमार उपस्थित थे।

वेयर हाउसिंग कर्मचारी संघ ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मप्र वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ ने श्रमिकों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर प्रबंध संचालक को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में दैनिक श्रमिकों को रिक्त पदों पर स्थायी या नियमित करने की मांग की गई।

संघ ने मांग की कि श्रमिकों को समय पर वेतन और बोनस का भुगतान किया जाए। साथ ही आरबीएस एसोसिएट को किए जा रहे भुगतान को बंद कर कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए ठेका व्यवस्था समाप्त करने की मांग रखी गई।

ज्ञापन में कहा गया कि आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को भी रिक्त पदों पर स्थायी या नियमित किया जाए, जिससे कॉर्पोरेशन को अनावश्यक खर्च और वित्तीय अनियमितताओं से बचाया जा सके।

अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने श्रमिकों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने प्रबंधन से समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की।

पेड़ से लटका मिला हेड कॉन्स्टेबल के पति का शव

नप्र, भोपाल : नेहरू नगर पुलिस लाइन में बुधवार सुबह हेड कॉन्स्टेबल के पति कृष्णा धारू का शव पेड़ से लटका मिला। उनकी पत्नी लक्ष्मी धारू टीटी नगर थाने में पदस्थ हैं। दोनों पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में रहते थे। कृष्णा निजी काम करते थे। पुलिस के अनुसार कृष्णा को शराब पीने की आदत थी, जिसको लेकर दंपती के बीच अक्सर विवाद होता था। लक्ष्मी ने तीन दिन पहले कमला नगर थाने में कृष्णा के खिलाफ शराब पीकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। कृष्णा के कपड़ों से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मारपीट के आरोपों को झूठा बताते हुए आत्महत्या की बात लिखी है। पुलिस ने नोट को हस्तलिपि विशेषज्ञ के पास जांच के लिए भेजा है।

स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष व्याख्यान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' के तहत स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत चल रहे अभियान के अंतर्गत हुआ। भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), के सहायक प्रोफेसर डॉ. गजेंद्र सिंह विश्वकर्मा ने व्याख्यान में दैनिक जीवन में स्वच्छता के महत्व, जल स्त्रोतों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उपायों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में संग्रहालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और पीजीडीएम छात्रों ने सहभागिता की। संग्रहालय निदेशक प्रो. डॉ. अमिताभ पांडे ने कहा कि स्वच्छता केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि संस्कृति और जीवनशैली का हिस्सा होनी चाहिए। जनसंपर्क अधिकारी एच.बी.एस. परिहार ने जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छता प्रभारी दीपक कुमार चौधरी ने किया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 की तैयारियां तेज

सतगढ़ी में प्रस्तावित आयोजन स्थल का होगा विकास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के सतगढ़ी में जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित मौजूदगी में होने वाले आयोजन को लेकर बुधवार को भोपाल कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ मिशन मोड में काम करने और तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। समिट की परिकल्पना 'सप्तधारा' विजन पर आधारित होगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि एवं खाद्य, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, गति शक्ति और बुनियादी ढांचा, रक्षा, हरित एवं ब्लू इकोनॉमी तथा सॉफ्ट पावर जैसे सात क्षेत्रों पर चर्चा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ने अगस्त में 'सप्तधारा' के तहत इन्हीं सात क्षेत्रों को विकास की प्रमुख धाराओं के रूप में रेखांकित किया था। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि समिट में आने वाले वैश्विक प्रतिनिधियों के लिए सांची, भीमबेटका, भोजपुर और उज्जैन के पर्यटन स्थलों तक पहुंच को सुगम बनाया जाए। इसके लिए सड़कों, चौराहों और संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रमुख मार्गों पर साइनेज, डायवर्जन मार्किंग और सौंदर्यीकरण कार्य भी कराने को कहा गया। सतगढ़ी के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में प्रस्तावित आयोजन स्थल की पार्किंग, पहुंच मार्ग और हेलीपैड की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। भोपाल एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक प्रमुख मार्गों के रेस्टोरेशन का काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्थानीय उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों की सहभागिता पर भी चर्चा हुई। एमएसएमई विभाग को दिसंबर तक संभाग के जिलों में उद्योग संघों और उद्योगपतियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने शहर में विशेष स्वच्छता अभियान, प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, उद्यानों और प्रवेश द्वारों के सौंदर्यीकरण का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा।

भोपाल कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध काम के निर्देश, पर्यटन स्थलों तक मार्गों को सुगम बनाने पर जोर

जाहिर सूचना

दुकान क्रमांक-जी-6, प्रथम तल जोकि बहुमंजिला भवन श्री मारूति नंदन कॉम्पलेक्स, ग्राम बावडिया कलॉ, वार्ड नम्बर- 52, तह. हुजुर जिला भोपाल

संबधित सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती निष्ठा तिवारी, वयस्क, पत्नी स्व. धमेन्द्र तिवारी, निवासी 387-388 त्रिलंगा गुलमोहर भोपाल ने प्रमोद कुमार परिहार पत्नी स्व प्रताप भानसिंह परिहार निवासी 50 सहयोग विहार कॉलोनी गुलमोहर भोपाल के स्वामित्व एवं अधिपत्य की एक किता पक्की आर.सी.सी. की व्यवसायिक छतदार दुकान क्रमांक- जी-6, प्रथम तल जोकि खसरा नम्बर - 60/1, 73, एवं 74 कुल रकबा 10.70 एकड के अंश भाग पर निर्मित बहुमंजिला भवन श्री मारूति नंदन कॉम्पलेक्स, ग्राम बावडिया कलॉ, पहन-42, रा.नि.मं-4, विकास खंड फन्दा, वार्ड नम्बर-52, तह. हुजुर जिला भोपाल में स्थित है को क्रय करने हेतु अनुबंध कर बयाना धनराशि का भुगतान कर दिया है। उपरोक्त दुकान अथवा उसके किसी भाग पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय, अशासकीय वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी का कोई स्वत्व, हित, अधिकार, ऋण, भार, दान, बंधक हो या अथवा इस हस्तांतरण/विक्रय में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस की समयावधि में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित मेरे कार्यालय में उपस्थित हो, आपत्ति प्रस्तुत करे, समयावधि पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य न होकर मेरे पक्षकारा पर बंधनकारी नहीं होगी एवं मेरी पक्षकारा उक्त दुकान का पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

अनूप कुमार कुरचानियां
239/117, सनी पैलेस, जोन-1, एम. पी. नगर भोपाल
फोन न. 9827539669

1744

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

सतलापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मण्डीदीप जिला रायसेन में भूखण्ड/भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस. 297 मण्डल द्वारा श्रीमती मीना चव्हाण पत्नी श्री प्रकाश चव्हाण के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 25/04/1992 को उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन से पंजीकृत है। आवंटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 25/06/2026 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्रीमती मनीषा कुशवाहा पत्नी श्री उमेश कुशवाहा के नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 10/08/2026 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्रीमती मनीषा कुशवाहा पत्नी श्री उमेश कुशवाहा के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/ या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1743

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, प्रक्षेत्र-2,अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

सतलापुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मण्डीदीप जिला रायसेन में भूखण्ड/भवन क्रमांक एम.आई.जी.- II 43 मण्डल द्वारा श्री चंद्र शेखर क्षत्री आत्मज श्री बाबूलाल क्षत्री के नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका पट्टा विलेख दिनांक 08/07/1993 को उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन से पंजीकृत है। आवंटी द्वारा लीज नवीनीकरण दिनांक 15/05/2024 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवा ली गई है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री सोनू मालवीय आत्मज श्री नारायण मालवीय के नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज जिला रायसेन द्वारा उक्त संपत्ति का पट्टा विलेख दिनांक 20/08/2026 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्री सोनू मालवीय आत्मज श्री नारायण मालवीय के नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी/या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म. प्रक्षेत्र-2 भोपाल

1742

न्यायालय तहसीलदार, तहसील आष्टा जिला सीहोर

प्रकरण क्रमांक 0006/अ-20 (3)/2026-27

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण की ओर सूचना प्रकाशित की जाती है कि आवेदक श्री सिमंधर जिनदत्त धाम चेरीटेबल ट्रस्ट दादावाड़ीऊ कन्नोद रोड आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, म.प्र. द्वारा ग्राम कस्बा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर स्थित शासकीय भूमि ख.क. 766/1/1,766/1/2, 766/2 में से 3.058 हे. भूमि जीवदया के कार्यक्रम गौशाला एवं समाज के सर्वांगीण विकास हेतु आवंटन किये जाने बाबत् म.प्र. नजूल निवर्तन नियम 2020 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त संबंध में प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी महोदय आष्टा की ओर से जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्राप्त होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है। यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति/ग्रामवासी या संस्था आदि को उक्त भूमि के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह लिखित आवेदन/आपत्ती स्वयं, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता एवं वकील के माध्यम से दिनांक 05/10/2026 के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। मियाद उपरांत आवेदन/आपत्ति प्रस्तुतं करने पर कोई विचार नही किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी। गया। आज दिनांक 22/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया

रामलाल पगारे तहसीलदार
तहसील आष्टा, जिला सीहोर

1741

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल
नोटिस प्रकाशन हेतु
उत्तराधिकार

एमजेसी एसयूसी/165/2026
नुमीरा तारिक बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE :22-10-2026

प्रेषिती, आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुनीरा तारिक पता मकान नंबर 163, सुल्तानिया रोड, हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश ने मृतक स्व. श्री तारिक अयुब खान की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 22-10-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 22-10-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे। सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 08-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें:-** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

1740

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं. रतनपुर सड़क तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.

रा.प्र.क. 0441 अ-12/2026-27
ग्राम नाम रतनपुर सडक

सूचना-पत्र

प्रति, 1.श्री प्रतीक गाला आ. श्री नालिन गाला निवासी भोपाल 2. श्री महेन्द्र परमार आ. श्री तुलसीदास परमार नि. भो. 3. श्री निर्भय सिंह परमार आ. बोदर सिंह परमार नि. भो. 4. श्री लखन सिंह परमार आ. श्री बोदर सिंह परमार नि. भोपाल 5. श्रीमती सरजू बाई पत्नी श्री बोदर सिंह परमार नि. भोपाल सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसीगण ! विषयः-सीमांकन किये जाने हेतू बाबत् सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता के कि आवेदक प्रतीक गाला के पिताश्री श्री नालिन गाला नि.ए-2604 विष्णु हाइट्रेक सीटी भोपाल निवासी भोपाल द्वारा ग्राम रतनपुर सड़क प.ह.न. में स्थित खसरा नंबर क्रमांक 908/2/1/2 रकबा क्रमांक 0.4050 हेक्टयर भूमि कुल रकबा 0.4050 हे. हेंक्टयर भूमि का सीमांकन हेतु आवेदक पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमाकंन मेरे द्वारा दिनांक. 29/09/2026 को समय प्रातः 11:30 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीस दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 22/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल

1739

कार्यालय राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं. रापड़िया तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र.

रा.प्र.क. 0031 अ-3/202-2
ग्राम नाम छान
प.ह.न. तहसील कोलार भोपाल

सूचनापत्र (वास्ते बटांन)

प्रति, 1.श्रीमती सुखदीप कौर पत्नी श्री रविन्द्र पाल सिंह नि. एल 34/3 बी. साकेत नगर भोपाल 2. श्री सुखवीर कौर पत्नी श्री गुरचरण सिंह नि. भोपाल। 3. श्री बाबूलाल आ. लालजी राम निवासी भोपाल। 4. श्रीमती किरण साकल्ले पत्नी ए.के. साकल्ले नि. भो. 5. श्री राज परमार पिता बने सिंह परमार नि. ग्राम रतनपुर भो. 6. श्री देव राज जाट आ. श्री प्रहलाद सिंह जाट नि. भोपाल। 7. श्री बी.के. शर्मा, सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसीगण ! **विषयः**-बटांन किये जाने हेतु बाबत् सूचना-पत्र एतद द्वारा सूचित किया जाता के कि आवेदक श्रीमती सुखदीप कौर पत्नी, रविन्द्र पाल निवासी भोपाल द्वारा ग्राम छान में स्थित खसरा नंबर 486/6/ 468/3 0.0230 हे. रकबा क्रमश. 0.0260 हेक्टयर रकबा कुल 0.0260 हेक्टयर हे. भूमि कुल 0.0260 हेंक्टयर हे. भूमि का बटान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का बटांन मेरे द्वारा दिनांक. 29/09/2026 को समय प्रातः 12:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पडोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकंन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एव अनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमाकंन कार्य रोका नही जावेगा बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नही होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमाकंन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमि स्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वंय से व्यय पर उक्त सूचना पत्र का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 22/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल

1738

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त-0 मिसरोद तहसील-कोलार जिला-भोपाल. म.प्र.

क्र.0 / रा.नि./2026 भोपाल. दिनांक 22/09/2026

सूचना-पत्र

प्रति, श्री दिनेश पाटीदार पिता श्री बोदरलाल पाटीदार नि. ग्राम मिसरोद 2. श्री प्रेमनारायण पाटीदार आ. रामप्रसाद पाटीदार निवासी मिसरोद भोपाल, 3. श्री रमेश पाटीदार आ. रामप्रमाद पाटीदार निवासी भोपाल 4. श्री राम किशन पाटीदार आ. रामप्रसाद निवासी ग्राम मिसरोद 5. मेसर्स एस.आर. एसोसिएटस भागीदार सूरज गंगवानी आ. मोहन लाल एवं अन्य 6. श्रीमती पुण्पा देवी पाटीदार पत्नी सालिगराम पाटीदार नि भो. 7. श्रीमती मधु पाटीदार पत्नी लखन पाटीदार निवासी भोपाल, 8. जीमल आ. देवबख्स 9. श्रीमती सूरजबाई विजय, विष्णु पिता लक्ष्मीनाराण पाटीदार नि. भोपाल 10 सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं अन्य पडोसीगण 11 विमल शर्मा आ. बी.पी. शर्मा निवासी भोपाल। विषयः-बटान एवं बटवारा किये जाने हेतु बाबत् सूचना-पत्र आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार तहसील-कोलार, जिला-भोपाल के राजस्व प्रकरण कमांक अ-27/2025-26में आवेदक श्री दिनेश पाटीदार आ. बोदरलाल निवासी मिसरोद भोपाल द्वारा ग्राम मिसरोद रा.नि.मं. मिसरोद तहसील-कोलार, जिला-भोपाल में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/2/3, 122/2/1 कुल रकबा 3.527 हेक्ट. रकबा 3.4990 हे., 0.0280 हे. हेक्टेयर का राजस्व अभिलेख में बटान एवं बटांवारा कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय के आदेश पालन में राजस्व अभिलेख में बटांन बटवारा कराने हेतु कार्यवाही कर फर्द नक्शा, फर्द बटवारा, स्थल पंचनामा, सूचना-पत्र के साथ जांच प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 26/09/026 को आवेदित स्थत पर समय 10.00 बजे की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना-पत्र जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
तहसील कोलार जिला भोपाल

1737